

समाहरणालय सिवान

(जिला स्थापना शाखा)

-: आदेश :-

उप विकास आयुक्त, सिवान के पत्रांक-01 II दिनांक 06.01.2017, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाइ सिवान के पत्रांक 13 दिनांक 16.01.2017, उप महा समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी पटना पत्रांक 5400 दिनांक 01.12.2016 तथा प्रधान सचिव-सह- मिशन निदेशक बिहार का पत्रांक 31 दिनांक 12.01.2017 के द्वारा कार्यपालक सहायकों की सेवाओं की मांग की गई है। उक्त पत्रों के आलोक में आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थियों को कार्यपालक सहायक के पद पर संविदा के आधार पर निम्नांकित शर्तों के तहत नियोजित कर उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में सेवा भेजी जाती है तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि दिनांक 15.03.17..... के अपराहन तक अचूक रूप से अपने पदस्थापन कार्यालय में एकरारनामा के साथ योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात उनके योगदान पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा नियोजन स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

क्र०सं०	कार्यपालक सहायक का नाम	पिता का नाम	रोस्टर के अनुसार कोटि	कार्यालय का नाम
1	राजेश कुमार	मुरलीधर प्रसाद	अना०	उप विकास आयुक्त का कार्यालय, सिवान।
2	रिंकु कुमारी	सुरज कुमार राय	अनु०जा०म० क्षैतिज आरक्षण	उप विकास आयुक्त का कार्यालय, सिवान।
3	रिता कुमारी	देवनाथ प्रसाद	अना० म० क्षैतिज आरक्षण	उप विकास आयुक्त का कार्यालय, सिवान।
4	शैलेन्द्र कुमार प्रसाद	भगवान प्रसाद	पि० वर्ग	उप विकास आयुक्त का कार्यालय, सिवान।
5	आलोक कुमार	शिवशरण प्रसाद	अना०	उप विकास आयुक्त का कार्यालय, सिवान।
6	उत्तम कुमार	शम्भुनाथ प्रसाद	अ०पि०वर्ग	उप विकास आयुक्त का कार्यालय, सिवान।
7	प्रवीण कुमार	मोहन जी द्विवेदी	अना०	उप विकास आयुक्त का कार्यालय, सिवान।
8	ऋचा गुप्ता	केदार प्रसाद गुप्ता	पि० वर्ग महिला	उप विकास आयुक्त का कार्यालय, सिवान।
9	स्वेता कुमारी सिंह	संतोष सिंह	अना०म० क्षैतिज आरक्षण	उप विकास आयुक्त का कार्यालय, सिवान।
10	प्रकाश सिंह बादल	भगवान राम	अनु०जाति	उप विकास आयुक्त का कार्यालय, सिवान।
11	विनोद कुमार सिंह	चन्देश्वर सिंह	अना०	उप विकास आयुक्त का कार्यालय, सिवान।
12	निरज कुमार शर्मा	तारकेश्वर शर्मा	अ०पि०वर्ग	उप विकास आयुक्त का कार्यालय, सिवान।
13	वेद प्रकाश ओझा	विद्या सागर ओझा	अना०	उप विकास आयुक्त का कार्यालय, सिवान।
14	खुशबू कुशवाहा	लालबाबु कुशवाहा	पि०वर्ग०म० क्षैतिज आरक्षण	उप विकास आयुक्त का कार्यालय, सिवान।
15	शिल्पी कुमारी राय	दिनेश कुमार राय	अना०म०क्षैतिज आरक्षण	उप विकास आयुक्त का कार्यालय, सिवान।
16	हरीओम	सुदीना राम	अनु०जाति	उप विकास आयुक्त का कार्यालय, सिवान।

17	सोनू कुमार	जयप्रकाश महतो	अना0	उप विकास आयुक्त का कार्यालय, सिवान।
18	सोनाली कुमारी	बलिन्द्र यादव	अ0पि0वर्ग0म0 क्षैतिज आरक्षण	उप विकास आयुक्त का कार्यालय, सिवान।
19	प्रियेश कुमार सिंह	परशुराम सिंह	अना0	उप विकास आयुक्त का कार्यालय, सिवान।
20	धरबिन्द कुमार	नारायण यादव	पि0वर्ग0	सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाइ सिवान।
21	अर्चना कुमारी	राज करण सिंह	अना0म0क्षैतिज आरक्षण	सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाइ सिवान।
22	कुमारी सुनीता कुमारी	अमरजीत राम	अनु0जाति म0 क्षैतिज आरक्षण	सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाइ सिवान।
23	अनिल कुमार	राजा प्रसाद	अना0	जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सिवान।

नियोजन की शर्तें:-

1. इनका नियोजन अस्थायी रूप से आदेश निर्गत की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए होगा परन्तु इस अवधि में सेवायें असंतोषप्रद पाये जाने पर बिना कारण बताये नियोजन से हटाने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
2. कार्यपालक सहायकों को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना द्वारा निर्धारित पद पर प्रतिमाह मानदेय देने की जिम्मेवारी पदस्थापन कार्यालय की होगी। कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगा एवं इसका अनुरक्षण (Maintenance) की भी संपूर्ण जिम्मेवारी कार्यपालक सहायक की होगी। इसमें लगने वाली Consumable Items (पेपर, कार्टिज आदि) की आपूर्ति पदस्थापन कार्यालय द्वारा किया जायेगा। Internet हेतु डाटा कार्ड कार्यपालक सहायक द्वारा देय होगा।
3. कार्यपालक सहायक (Executive Assistant) अपने साथ निर्धारित हार्डवेयर—एक डेस्क टॉप, एक प्रिंटर (Black and White) एक यू0 पी0 एस0, इंटरनेट कनेक्शन हेतु डाटा कार्ड के साथ सम्बन्धित कार्यालय में अविलम्ब योगदान देंगे। उक्त सामग्री के साथ योगदान नहीं करने की स्थिति में तुरन्त नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।
4. संविदा के आधार पर नियोजित/अनुशासित कर्मों को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी। उन्हें सरकारी सेवकों को अनुमान्य केवल आकस्मिक अवकाश ही देय होगा।
5. संविदा पर नियोजित/अनुशासित अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
6. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र एवं एकरारनामा समर्पित करना अनिवार्य होगा।

2017
जिला पदाधिकारी,
सिवान।

ज्ञापांक— II-16/12-159 /स्था0, सिवान, दिनांक 27/12/2017 ई0

- प्रतिलिपि :-
1. अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
 2. उप विकास आयुक्त, सिवान/अपर समाहर्ता, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी सिवान/सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाइ सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।
 4. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसे जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
 5. श्री अमित कुमार दास, आई0 टी0 प्रबंधक, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि नियोजित कार्यपालक सहायकों को ई0मेल पर सूचना भेजना सुनिश्चित करेंगे।
 6. सम्बन्धित सभी नवनियोजित कार्यपालक सहायकों को सूचनार्थ एव अनुपालनार्थ प्रेषित।

2017
जिला पदाधिकारी,
सिवान।